राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

हरिसिंह बनाम मनफूल आदि

New Case No. - 214/2023

प्रकरण का प्रकार प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी क्रमांक 195 सन 2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
24.07.2023	प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधिनियम पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पूर्व में अपील में प्रार्थी द्वारा श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता को वकील नियुक्त किया हुआ था। जिन्होनें प्रार्थी से कहा कि आपको हर पेशी पर आने की जरूरत नहीं है। जब आपको आना होगा तब आपको सूचना दे दी जावेगी। दिनांक 31.03.2021 को प्रार्थी के वकील पेशी पर उपस्थित नहीं हुए तथा ना ही प्रार्थी को उपस्थित होने हेतु कोई सूचना दी। अपील दिनांक 31.03.2021 को अदम हाजरी में खारिज हो गयी। प्रार्थी को दिनांक 21.07.2023 को सुरजाराम के पुत्र धरमपाल ने बताया कि अपील खारिज हो गयी है। प्रार्थी ने आज हनुमानगढ़ आकर पता लगाया तो पता चला की अपील दिनांक 31.03.2021 को अदम हाजरी में खारिज हो चुकि है। वकील की भूल या गलती के कारण पक्षकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। प्रार्थी ने आज अतिशीघ्र प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 21 व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है। प्रार्थी सदभावी है। न्यायाहित में मियाद में देरी माफ करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील सं0 79/2008 अनवानी हरीसिंह बनाम मनफूल में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2021 निरस्त किया जाकर अपील रेस्टोर फरमायी जावे। विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी व शपथ पत्र पर विश्वारा करते हुए न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील सं0 79/2008 अनवानी हरीसिंह बनाम मनफूल आदि रेस्टोर की जाती है। प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार हो। (हस्ताक्षर) 24/7/23 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़	

Scanned with OKEN Scanner